

राजस्थान सरकार
निदेशालय, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान जयपुर

क्रमांक: एफ.1(ए)102/जि.स्था./पार्ट-12/संस्था/2019/

दिनांक: 9-1-2019

-:आदेश:- 568

इस विभाग के निम्नांकित कार्मिकों का इनके नाम के सम्मुख अंकित कार्यालय में तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरण/पदस्थापन किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम	पदनाम	वर्तमान पदस्थापन	नवीन पदस्थापन
1.	श्री निरन्जन सिंह चन्दावत	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	नागौर	अजमेर
2.	श्री किशन कुमार पालीवाल	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	जयपुर शहर	अजमेर
3.	श्री अशोक कुमार बुन्देल	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	राजसमन्द	भीलवाडा
4.	श्री योगेश कुमार शर्मा	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	झालावाड	सवाईमाधोपुर
5.	श्री गिरधारी लाल मीणा	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	झुन्झुनू	सीकर
6.	श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा	वरिष्ठ सहायक	भरतपुर	भरतपुर संभाग
7.	श्री विजेन्द्र सिंह वर्मा	वरिष्ठ सहायक	जयपुर संभाग प्रथम	जयपुर ग्रामीण
8.	श्री अशोक कुमार शर्मा	वरिष्ठ सहायक	दौसा	भरतपुर
9.	श्री मोहम्मद हनीफ	वरिष्ठ सहायक	मुख्यालय जयपुर	सीकर
10.	श्रीमती अनिता चौधरी	कनिष्ठ सहायक	जयपुर ग्रामीण	सीकर
11.	श्रीमती सरोज घोसल्या	कनिष्ठ सहायक	सीकर	जयपुर ग्रामीण
12.	सुश्री साक्षी दाधीच	कनिष्ठ सहायक	जयपुर शहर	जोधपुर शहर
13.	श्री राजेश बन्डोलिया	कनिष्ठ सहायक	बून्दी	जयपुर शहर
14.	श्री चन्द्रप्रकाश सैनी	कनिष्ठ सहायक	ब्यावर	सीकर
15.	श्रीमती ओमवती	कनिष्ठ सहायक	मुख्यालय जयपुर	झुन्झुनू
16.	सुश्री वर्षा जागिड	कनिष्ठ सहायक	जयपुर ग्रामीण	सीकर

6

क्र. सं.	नाम	पदनाम	वर्तमान पदस्थापन	नवीन पदस्थापन
17.	श्री विनोद खींचड	कनिष्ठ सहायक	जयपुर संभाग द्वितीय	जयपुर शहर
18.	श्री मनीष कुमार संदीप	कनिष्ठ सहायक	जयपुर ग्रामीण	जयपुर संभाग प्रथम

क्रम संख्या 1 से 5 तथा 8 से 16 पर अंकित कार्मिकों का स्थानान्तरण/पदस्थापन स्वयं की प्रार्थना पर किये जाने के फलस्वरूप इनको नियमानुसार योगकाल/यात्राभत्ता अनुज्ञेय नहीं होगा ।

प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग से जारी आज्ञा क्रमांक प.5(1)प्रसु./सम./अनु-1/2008 पार्ट दिनांक 25.12.2018 के तहत यदि इन कार्मिकों की ड्यूटी फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम में लगी हुई हो तो इन्हें नवपदस्थापन हेतु कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा एवं इस आशय की सूचना आवश्यक रूप से मुख्यालय को प्रेषित की जावे।

निदेशक महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

(सुनील कुमार शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
राज्य बीमा एवम् प्रावधायी निधि विभाग,
राजस्थान जयपुर

क्रमांक: एफ.1(ए)102/जि.स्था./पार्ट-12/संस्था/2019/12252-12276 दिनांक: 9-1-2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, निदेशक महोदय, मुख्यालय जयपुर ।
2. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) मुख्यालय जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एवम् प्रा.नि. विभाग संभाग कार्यालय
4. मुख्य लेखाधिकारी, राज्य बीमा एवम् प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान जयपुर ।
5. संयुक्त निदेशक (संस्थापन) राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान जयपुर
6. संयुक्त/उप/सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवम् प्रा.नि. विभाग, जिला कार्यालयों को प्रेषित कर लेख है कि अविलम्ब संबंधित कर्मचारियों को कार्यमुक्त करें एवम् कार्यग्रहण करने वाले कर्मचारियों के कार्यग्रहण की रिपोर्ट मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें ।
7. सम्बन्धित कार्मिकगण।
8. कैडर स्ट्रेन्थ लिपिक/वरिष्ठता निर्धारक लिपिक/सेवापुस्तिका लिपिक।
9. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

20
(रामप्रल परसोया)
संयुक्त निदेशक (संस्थापन)
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग
राजस्थान जयपुर